प्रेस नोट दिनांक 08.11.2025

थाना बारादरी जनपद बरेली

थाना बारादरी #bareillypolice द्वारा अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले 03 शातिर अभियुक्त को 01 किलो 657 ग्राम अवैध अफीम (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत 40 लाख रूपये) व 02 मोटर साइकिल व 02 मोबाईल फोन एवं 5710/- रुपये नगद सहित किया गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण/परिचयः-

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली महोदय द्वारा मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले अपराध एवं अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बारादरी पुलिस द्वारा रात्रि गस्त के दौरान दिनांक 07/08.11.2025 को 03 शातिर मादक पदार्थ विक्रेता अभियुक्त **1. राजेश पुत्र नेपाल उर्फ महीपाल निवासी ग्राम ढका थाना विशारतगंज जनपद बरेली उम्र करीब 26 वर्ष 2. सतीश पुत्र भगवान दास निवासी ग्राम ढका थाना विशारतगंज जनपद बरेली उम्र करीब 23 वर्ष 3. सतेन्द्र पुत्र दरबारी लाल निवासी ग्राम ताजपुर नवदिया थाना भमौरा जनपद बरेली उम्र करीब 19 वर्ष को मेडिकल कालेज के पीछे वाले नाले के पास स्थित रास्ते से 01 किलो 657 ग्राम अफीम (कीमत लगभग 40 लाख रूपये), परिवहन में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल, 02 मोबाईल फोन एवं 5710/- रुपये नगद सहित गिरफ्तार किया गया।** इनका एक अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। उक्त के सम्बन्ध में अभियुक्तो के विरूद्ध मु0अ0सं0 1333/2025 धारा 8/18/29 एनडीपीएस एक्ट व धारा 112 बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार शुदा अभियुक्तो से विस्तृत पूछताछ कर मा0 न्यायालय के समक्ष रिमाण्ड हेतु प्रस्तुत कर जेल भेजा जायेगा।

घटना के सम्बन्ध में तथ्यों का सारगर्भित विवरणः-

दिनांक 07/08.11.2025 की रात्रि उ0नि0 मनीष भारद्वाज, उ0नि0 सौरभ तोमर, हे0का0 33 साबिर अली, हे0का0 144 विनोद कुमार, हे0का0 534 आशीष मिश्र, का0 2893 सिद्धान्त शान्ति व्यवस्था हेतु रात्रि गस्त करते हुए डोहरा चौराहे पर पहुचें तो मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि कुछ व्यक्ति जिनके पास नशीला पदार्थ है कही ले जाने की फिराक में खड़े है। सूचना पर विश्वास कर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुचंकर घेरकर 03 अभियुक्तों को समय 01.30 बजे रात्रि पकड लिया तथा 01 अभियुक्त मौके से अंधेरे का फायदा उठाकर नाले की तरफ जंगल में भाग गया, जिसकी जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों ने अपने नाम **1. राजेश पुत्र नेपाल उर्फ महीपाल निवासी ग्राम ढका थाना विशारतगंज जनपद बरेली उम्र करीब 26 वर्ष 2. सतीश पुत्र भगवान दास निवासी ग्राम ढका थाना विशारतगंज जनपद बरेली उम्र करीब 23 वर्ष 3. सतेन्द्र पुत्र दरबारी लाल निवासी ग्राम ताजपुर नवदिया थाना भमौरा जनपद बरेली उम्र करीब 19 वर्ष बताये। गिरफ्तार अभियुक्त राजेश के कब्जे से 654 ग्राम अफीम, अभियुक्त सतीश के कब्जे से 501 ग्राम अवैध अफीम एवं अभियुक्त सतेन्द्र के कब्जे से 501 ग्राम अवैध अफीम (कुल 1.657 कि0ग्रा0अवैध अफीम) एवं अभियुक्तों के संयुक्त कब्जे से** परिवहन में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल व 02 टच स्क्रीन मोबाईल फोन व 5710 रुपये नगद बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 1333/2025 धारा 8/18/29 एनडीपीएस एक्ट व धारा 112 बी0एन0एस0 का अभियोग पंजीकृत किया गया । अभियुक्तगण को मय माल के मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रिमाण्ड स्वीकृत कराकर जेल भेजा जायेगा।

घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

मु0अ0सं0 1333/2025 धारा 8/18/29 एनडीपीएस एक्ट व धारा 112 बी0एन0एस0 थाना बारादरी बरेली

पूछताछ एवं अभियुक्त का विवरण (जैसे कि वह कहाँ का रहने वाला है, कितना पढ़ा-लिखा है,पूर्व में/वर्तमान क्या करता/करती है, घटना स्थल किस तरह पहुँचा और अपराध में संलिप्त करने का कारण आदि)-

अभियुक्तगण से बारी बारी पूछने पर बताया कि राजेश कश्यप जो 09वी क्लास पास है एवं तीन भाई है सबसे बडा है, राजेश अपने से छोटे भाई बन्टी के साथ मिलकर किराना की दुकान गांव में चलाता है, रवि खेती करता है इसके दो छोटे छोटे बच्चे है। सतीश कश्यप 05वी कक्षा तक पढा है यह भी तीन भाई है इससे बडा सोनू व सतीश खेती करते है तथा इससे छोटा दुर्गेश जो कक्षा 11वीं का

छात्र है। तीसरा अभियुक्त सतेन्द्र कश्यप जो 09वी कक्षा में फैल है एवं देहरादून प्लाई फैक्ट्री में काम करता है। तीनो आपस में दोस्त है तीनो की मुलाकात अजय नाम रिश्तेदारी से होती है और फिर यह योजना बनाये कि मजदूरी व खेती करने में कोई फायदा नही है। झारखण्ड से अफीम लाकर उसमें कॉम्पलान आदि मिलाकर उसे ले जाकर पंजाब में बेचा जाये तो काफी फायदा होता है। पूर्व में एक बार इन लोगो द्वारा कम मात्रा में अफीम लाकर पंजाब में ले जाकर बेची थी तो अच्छा मुनाफा हुआ था, ग्राहक की तलाश सतेन्द्र कश्यप करता है। झारखण्ड से अफीम लाने का काम सतीश कश्यप व राजेश कश्यप व अजय सिंह करते है। माल आने के बाद चारो मिलकर उसमें कॉम्पलान एवं अन्य सामग्री का मिश्रण कर मात्रा बढा दी जाती है औऱ फिर उसे बेचने के लिए पंजाब ले जाया जाता है। यह माल भी इन लोगो ने झारखण्ड से लाया गया था और इसे लेकर डबल डेकर बस, जो देर रात्रि में डोहरा चौराहे पर मिलती, पकड कर पंजाब जाकर बेचने का कार्यक्रम था कि पुलिस टीम द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया। झारखण्ड में इनको माल रेलवे स्टेशन पलामू के बाहर से अज्ञात व्यक्ति द्वारा दिया गया था। पंजाब मे इनको रोपण में ढाबे पर माल देना था जिसके बारे में जानकारी की जा रही है।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त व अपराधिक इतिहासः –</u>

राजेश पुत्र नेपाल उर्फ महीपाल निवासी ग्राम ढका थाना विशारतगंज जनपद बरेली उम्र करीब 26 वर्ष

1. मु0अ0सं0 1333/2025 धारा 8/18/29 एनडीपीएस एक्ट व धारा 112 बी0एन0एस0 थाना बारादरी बरेली
2. मु0अ0सं0 0206/2024 धारा 379/411 भादवि थाना भमौरा जनपद बरेली ।
3. मु0अ0सं0 0243/2022 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना विशारतगंज बरेली ।

सतीश पुत्र भगवान दास निवासी ग्राम ढका थाना विशारतगंज जनपद बरेली उम्र करीब 23 वर्ष

1. मु0अ0सं0 1333/2025 धारा 8/18/29 एनडीपीएस एक्ट व धारा 112 बी0एन0एस0 थाना बारादरी बरेली
2. मु0अ0सं0 0164/2024 धारा 137(2)/296 बी0एन0एस0 थाना बारादरी बरेली ।

सतेन्द्र पुत्र दरबारी लाल निवासी ग्राम ताजपुर नवदिया थाना भमौरा जनपद बरेली उम्र करीब 19 वर्ष

1. मु0अ0सं0 1333/2025 धारा 8/18/29 एनडीपीएस एक्ट व धारा 112 बी0एन0एस0 थाना बारादरी बरेली

<u>वांछित अभियुक्तः-</u>

अजय पुत्र नामालूम निवासी बिचरा बाल किशनपुर थाना अलीगंज जिला बरेली (फरार)

<u>बरामदगी</u>

- 01 किलो 657 ग्राम अफीम (कीमत लगभग 40 लाख रूपये)
- 02 मोटर साइकिल परिवहन में प्रयुक्त
- 02 मल्टीमीडिया मोबाईल फोन
- 5710/- रुपये नगद

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरणः-</u>

- ❖ प्रभारी निरीक्षक धनंन्जय पाण्डेय थाना बारादरी बरेली ।
- ❖ उ0नि0 मनीष भारद्वाज प्रभारी चौकी रूहेलखण्ड थाना बारादरी बरेली ।
- ❖ उ0नि0 सौरभ तोमर थाना बारादरी बरेली ।
- ❖ हे0का0 534 आशीष कुमार मिश्र थाना बारादरी बरेली ।
- ❖ हे0का0 33 साबिर अली थाना बारादरी बरेली ।
- ❖ हे0का0 144 विनोद कुमार थाना बारादरी बरेली ।
- ❖ का0 2893 सिद्धान्त चौधरी थाना बारादरी बरेली ।
- ❖ का0 511 आदित्य प्रताप सिंह थाना बारादरी बरेली ।
- ❖ का0 चालक मुकेश कुमार थाना बारादरी बरेली ।